बिहार सरकार
**योजना एवं विकास विभाग**

**स्वीकृत्यादेश**

पत्रांकः यो09 / S.H.A-08/2025 - 702 स्था० / यो0वि0,पटना,दिनांक 23 सितम्बर, 2025

सेवा में,

**महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार**
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अन्तर्गत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, सीतामढ़ी, भागलपुर एवं औरंगाबाद के भवन एवं अन्य संरचनाओं की मरम्मति संबंधी कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में तकनीकी अनुमोदित कुल प्राक्कलित राशि मो0 49,96,006.00 (उनचास लाख छियानवे हजार छः) रूपये मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में भवन निर्माण विभाग के माध्यम से जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र का निर्माण कराया गया है।

2. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, सीतामढ़ी, भागलपुर एवं औरंगाबाद के भवन एवं अन्य संरचनाओं की मरम्मति संबंधी कार्य हेतु अभियंता प्रमुख (विद्युत), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना, जिला पदाधिकारी, भागलपुर एवं जिला योजना पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्राप्त सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु समर्पित किया गया है, जो इस प्रकार है :–

| क्र0 | जिला | कार्य का नाम | प्राक्कलित राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | सीतामढ़ी | Campus Security light along with renovation with addition and alteration to E.I. in Police barrack & Parking shed in the campus of DRCC at Sitamarhi, Distt.-Sitamarhi | 14,41,149/- |
| 2 | भागलपुर | S/R to E.W & E.I in DRCC Building, Bhagalpur | 22,99,757/- |
| 3 | औरंगाबाद | जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, औरंगाबाद के सम्पूर्ण भवन एवं परिसर के अन्य संरचनाओं की मरम्मति का कार्य | 12,55,100/- |
| | | **कुल** | **49,96,006/-** |

3. उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, सीतामढ़ी, भागलपुर एवं औरंगाबाद के नाम के सम्मुख अंकित तकनीकी अनुमोदित राशि पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति की समतुल्य राशि संबंधित जिला योजना पदाधिकारी को विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

4. उपर्युक्त योजना का क्रियान्वयन संबंधित जिला के कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य हेतु राशि जिला योजना पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण कराने के उपरांत मापीपुस्त के अनुसार राशि की मांग जिला योजना पदाधिकारी से की जाएगी। जिला योजना पदाधिकारी द्वारा मांग के अनुरूप जिला पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करते हुए CFMS के माध्यम से राशि कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

5. उपर्युक्त योजना हेतु कुल स्वीकृत राशि मो0 49,96,006.00 (उनचास लाख छियानवे हजार छः) रूपये का वहन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष 200–अन्य कार्यक्रम, मांग संख्या 35, उप शीर्ष 0117–मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना 35- 223560200117" के अन्तर्गत विषय शीर्ष 27–02 अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य के तहत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

6. आवंटित राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में अन्य योजनाओं पर नहीं किया जाएगा।

7. प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन की समय–अवधि 04 माह होगी। संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग उक्त कार्य को प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन

P.T.O

निर्धारित समय–सीमा के अंदर पूर्ण कराते हुए तत्संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला योजना पदाधिकारी, सीतामढ़ी, भागलपुर एवं औरंगाबाद को उपलब्ध करायेंगे।

8. उक्त स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
9. उक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(रणजीत कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09 / S.H.A-08/2025 - 702 /यो0वि0,पटना,दिनांक 23. सितम्बर, 2025
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी, भागलपुर एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09 / S.H.A-08/2025 - 702 /यो0वि0,पटना,दिनांक 23. सितम्बर, 2025
प्रतिलिपि: विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार / सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग / विभागीय लेखा एवं बजट शाखा / आई0टी0 मैनेजर, योजना एंव विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09 / S.H.A-08/2025 - 702 /यो0वि0,पटना,दिनांक 23. सितम्बर, 2025
प्रतिलिपि: क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गयाजी / अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, भवन निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गयाजी / जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गयाजी / कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर एवं मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09 / S.H.A-08/2025 - 702 /यो0वि0,पटना,दिनांक 23. सितम्बर, 2025
प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गयाजी / जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09 / S.H.A-08/2025 - 702 /यो0वि0,पटना,दिनांक 23 सितम्बर, 2025
प्रतिलिपि: सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09 / S.H.A-08/2025 - 702 /यो0वि0,पटना,दिनांक 23. सितम्बर, 2025
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09 / S.H.A-08/2025 - 702 /यो0वि0,पटना,दिनांक 23 सितम्बर, 2025
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव